जलदाय विभाग ने लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय घर-घर राजस्व वसूली एवं नीलामी कार्यक्रम स्थगित मार्च 2020 के जल राजस्व बिलों की देय तिथि आगे बढ़ाई जाएगी

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-23-03-2020-12.docx (http://103.203.138.54/news/195403/document/LK-23-03-2020-12.docx)

DESCRIPTION

जलदाय विभाग ने लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय
घर-घर राजस्व वसूली एवं नीलामी कार्यक्रम स्थगित
मार्च 2020 के जल राजस्व बिलों की देय तिथि आगे बढ़ाई जाएगी

जयपुर, 23 मार्च। जलदाय विभाग ने प्रदेश में कोराना वायरस से उत्पन्न स्थितियों और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के सम्बंध में जारी आदेशों के मद्देनजर जनता को राहत प्रदान करने के लिए तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए है।

मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्ल्यू श्री सी. एम. चौहान ने बताया कि प्रदेशभर में राजस्व वसूली टीमों द्वारा घर-घर जाकर की जाने वाली वसूली लॉकडाउन के दौरान स्थगित रहेगी। इसके साथ ही विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा आयोजित किए जाने वाले नीलामी कार्यक्रम भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिए गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य के सभी खण्ड एवं उपखण्ड कार्यालयों को माह मार्च 2020 के जल राजस्व बिलों की तिथि में शिथिलता देते हुए अपने स्तर पर इन बिलों की देय तिथि को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस सम्बंध में मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्ल्यू श्री सी. एम. चौहान की ओर से तीन अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

SUPPORTING IMAGES